संख्या- 3803 /71-2-14-सी0एम0यू0-54/2010

प्रेषक

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2014

विषय:- मुख्य सचिव समिति द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ के डेन्टल मैकेनिक/डेन्टल हाइजिनिस्ट एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोस्थेटिक मैकेनिक की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-149/दस-2014-8 (मु0स0स0) 2008, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के डेन्टल मैकेनिक/डेन्टल हाइजिनिस्ट एवं के0जी0एमयू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोस्थेटिक मैकेनिक के पद पर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने तथा प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोस्थेटिक मैकेनिक का पदनाम, शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार अनुमन्य /निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. के0जी0एम0यू0 लखनऊ के डेन्टल मैकेनिक/डेन्टल हाइजिनिस्ट के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य कराया जाय।
2. के0जी0एम0यू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के मैक्सिलोफेशियल सेक्शन में विद्यमान प्रोस्थेटिक मैकेनिक के पद पर इण्टरमीडिएट (बायोलाजी) /समकक्ष सहित डेन्टल मैकेनिक का 02 वर्षीय डिप्लोमा एवं 05 वर्ष का अनुभव तथा किसी संस्था से मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक मैकेनिक की ट्रेनिंग (जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष हों) तथा डेन्टल काउंसिल में डेन्टल मैकेनिक के रूप में पंजीकृत की अर्हता निर्धारित की जाय।
3. पूर्व उप प्रस्तर-2 के अनुसार अर्हता निर्धारित करते हुए के0जी0एम0यू0 लखनऊ में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अंतर्गत उपलब्ध प्रोस्थेटिक मैकेनिक के उक्त पद पर उच्चीकृत /संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य कराया जाय। साथ ही उक्त पद का पदनाम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक मैकेनिक (Maxillo Facial Prosthetist) रखा जाय।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में संबंधित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश वे0आ0-2-577/दस-59(एम)2008, दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संबंधित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-820/दस-2014, दिनांक 03-11-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

P.T.O.

संख्या- 3803 /71-2-2014 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

कार्यालय कुलसचिव किगं जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक सं0- 22503 /ई0/2014, दि0: 15/12/14

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक दंत संकाय के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

2- अधिष्ठाता, दंत संकाय, के0जी0एम0यू0उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

4- वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

5- मा0 कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

6- समस्त अनुभाग प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

7- नोटिस पुस्तिका।

(योगेश कुमार शुक्ला)
कुलसचिव